

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा।

आनन्द विजय, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा



Email-deonalanda.edn@gmail.com

कार्यालय आदेश

1. जिले के प्रत्येक प्रखंड के लिए चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसका संचालन मॉडल विद्यालय के रूप में किया जाना है, में निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप आवश्यक विषयवार शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के निमित्त मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय ज्ञापांक 757 दिनांक 16.04.2026 द्वारा चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त मानक संचालन प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक करके उसे अपलोड किया गया।
2. मॉडल विद्यालय में शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति हेतु यह आवश्यक किया गया है कि अभ्यर्थी संबंधित जिला में कार्यरत नियमित शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक हो। यह भी अनिवार्य किया गया कि अभ्यर्थी की विषय-मैपिंग ई-शिक्षाकोष/यू-डायस पोर्टल पर कक्षा 09 से 12 के लिए अद्यतन हो तथा उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। साथ ही उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 4 में निर्धारित पात्रता धारित करते हों।
3. पात्रता धारित शिक्षक अभ्यर्थियों से दिनांक 17.03.2026 से 10.04.2026 की अवधि में आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से आमंत्रित किए गए। प्राप्त आवेदन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच एवं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 5 अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा किया गया।
4. निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए निम्नांकित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित मॉडल विद्यालय में अगले आदेश तक की जाती है:

क्र०	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्ग कक्षा 11-12)	वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय का नाम (प्रखंड का नाम सहित)	विषय	मॉडल विद्यालय का नाम, जहां प्रतिनियुक्ति किया गया (प्रखंड का नाम सहित)
1	RAGINI KANT	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	NEFA BALIDAN SMARAK HIGH SCHOOL, (BEN)	MUSIC	R.S.B. HIGH SCHOOL, ASTHAWAN (ASTHAWAN)
2	GANITA KUMARI	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	S.M.G.R.V GURUSHARANPUR, (BEN)	PSYCHOLOGY	R.S.B. HIGH SCHOOL, ASTHAWAN (ASTHAWAN)

5. प्रतिनियुक्ति शिक्षक द्वारा पूर्व में दी गयी सूचना यदि गलत या भ्रामक पायी जाती है तो उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
6. प्रतिनियुक्ति शिक्षक को मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा इस आदेश निर्गमन तिथि के दो दिनों के अन्दर प्रतिनियुक्ति विद्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया जायेगा और विरमणपत्र को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
7. प्रतिनियुक्ति विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक योगदान को स्वीकृत करते हुए उसे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
8. प्रतिनियुक्ति शिक्षक का वेतनादि का भुगतान उनके मूल विद्यालय से ही होगा। इस निमित्त प्रतिनियुक्ति विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अन्य शिक्षकों के साथ समेकित रूप से सक्षम स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
9. उक्त प्रतिनियुक्ति को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
10. प्रतिनियुक्ति के निमित्त विभाग के स्तर से समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश/निदेश का अनुपालन प्रतिनियुक्ति शिक्षक द्वारा किया जाएगा।

ह०/-
जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

ज्ञापांक.....650.....बिहारशरीफ, दिनांक...03.../...06.../2026

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रतिनियुक्ति शिक्षक/संबंधित मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा/उप विकास आयुक्त नालंदा एवं जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित/समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

Email- deonalanda.edn@gmail

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा।

आनन्द विजय, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा



Email-deonalanda.edn@gmail.com

कार्यालय आदेश

1. जिले के प्रत्येक प्रखंड के लिए चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसका संचालन मॉडल विद्यालय के रूप में किया जाना है, में निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप आवश्यक विषयवार शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के निमित्त मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय ज्ञापांक 757 दिनांक 16.04.2026 द्वारा किया जाएगा।

2. उक्त मानक संचालन प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विषयवार एवं वर्गवार शिक्षकों की आवश्यकतानुसार आकलन करके उसे अपलोड किया गया।

3. मॉडल विद्यालय में शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति हेतु यह आवश्यक किया गया है कि अभ्यर्थी संबंधित जिला में कार्यरत नियमित शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक हो। यह भी अनिवार्य किया गया कि अभ्यर्थी की विषय-मैपिंग ई-शिक्षाकोष/यू-डायस पोर्टल पर कक्षा 09 से 12 के लिए अद्यतन हो तथा उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। साथ ही उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 4 में निर्धारित पात्रता धारित करते हों।

4. पात्रता धारित शिक्षक अभ्यर्थियों से दिनांक 17.03.2026 से 10.04.2026 की अवधि में आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से आमंत्रित किए गए। प्राप्त आवेदन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच एवं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 5 अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा किया गया।

5. निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए निम्नांकित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित मॉडल विद्यालय में अगले आदेश तक की जाती है:

क्र०	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्ग कक्षा 11-12)	वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय का नाम (प्रखंड का नाम सहित)	विषय	मॉडल विद्यालय का नाम, जहां प्रतिनियुक्ति किया गया (प्रखंड का नाम सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	SUDHANSHU KUMAR	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	S.S.HS AMARPURI (HARNAUT)	HINDI	UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA, BEN (BEN)

6. प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा पूर्व में दी गयी सूचना यदि गलत या भ्रामक पायी जाती है तो उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

7. प्रतिनियुक्त शिक्षक को मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा इस आदेश निर्गमन तिथि के दो दिनों के अन्दर प्रतिनियुक्त विद्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया जायेगा और विरमणपत्र को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

8. प्रतिनियुक्त विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक योगदान को स्वीकृत करते हुए उसे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

9. प्रतिनियुक्त शिक्षक का वेतनादि का भुगतान उनके मूल विद्यालय से ही होगा। इस निमित्त प्रतिनियुक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अन्य शिक्षकों के साथ समेकित रूप से सक्षम स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

10. उक्त प्रतिनियुक्ति को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

11. प्रतिनियुक्ति के निमित्त विभाग के स्तर से समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश/निदेश का अनुपालन प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा किया जाएगा।

ह०/-
जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

ज्ञापांक.....651.....बिहारशरीफ, दिनांक...03.../...06.../2026

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रतिनियुक्त शिक्षक/संबंधित मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा/उप विकास आयुक्त नालंदा एवं जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित/समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

31/6/26
03/6/26

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा।

आनन्द विजय, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा



Email-deonalanda.edn@gmail.com

कार्यालय आदेश

1. जिले के प्रत्येक प्रखंड के लिए चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसका संचालन मॉडल विद्यालय के रूप में किया जाना है, में निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप आवश्यक विषयवार शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के निमित्त मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय ज्ञापांक 757 दिनांक 16.04.2026 द्वारा किया जाएगा।
2. उक्त मानक संचालन प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विषयवार एवं वर्गवार शिक्षकों की आवश्यकतानुसार आकलन करके उसे अपलोड किया गया।
3. मॉडल विद्यालय में शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति हेतु यह आवश्यक किया गया है कि अभ्यर्थी संबंधित जिला में कार्यरत नियमित शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक हो। यह भी अनिवार्य किया गया कि अभ्यर्थी की विषय-मैपिंग ई-शिक्षाकोष/यू-डायस पोर्टल पर कक्षा 09 से 12 के लिए अद्यतन हो तथा उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। साथ ही उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 4 में निर्धारित पात्रता धारित करते हों।
4. पात्रता धारित शिक्षक अभ्यर्थियों से दिनांक 17.03.2026 से 10.04.2026 की अवधि में आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से आमंत्रित किए गए। प्राप्त आवेदन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच एवं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 5 अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा किया गया।
5. निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए निम्नांकित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित मॉडल विद्यालय में अगले आदेश तक की जाती है:

क्र०	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्ग कक्षा 9-10/ 11-12	वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय का नाम (प्रखंड का नाम सहित)	विषय	मॉडल विद्यालय का नाम, जहां प्रतिनियुक्ति किया गया (प्रखंड का नाम सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	SANJEEV KUMAR RANJAN	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA, TETARAWAN (BIHARSHARIF)	BOTANY	JAWAHAR KANGYA +2 SCHOOL, JHINGNAGAR NALANDA (BIHAR SHARIF)
2	ROHIT KUMAR	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	HIGH SECONDARY SCHOOL DARARIYA BIGHA BELCHHI (CHANDI)	MATH	JAWAHAR KANGYA +2 SCHOOL, JHINGNAGAR NALANDA (BIHAR SHARIF)
3	VIKASH KUMAR	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA, GILANI (ASTHAWAN)	HINDI	JAWAHAR KANGYA +2 SCHOOL, JHINGNAGAR NALANDA (BIHAR SHARIF)
4	AYESHA TABASSUM	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA, DHURGAON (EKANGARSARAI)	CHEMISTRY	JAWAHAR KANGYA +2 SCHOOL, JHINGNAGAR NALANDA (BIHAR SHARIF)
5	REETU PANDIT	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	H.S PAMARA TRIBHUVAN BIGHA NALANDA (THARTHARI)	GEOGRAPHY	JAWAHAR KANGYA +2 SCHOOL, JHINGNAGAR NALANDA (BIHAR SHARIF)
6	KUMARI PRIYADARSHINI	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	A.K.A.HIGH SCHOOL, ANDHWAS (RAJGIR)	ZOOLOGY	JAWAHAR KANGYA +2 SCHOOL, JHINGNAGAR NALANDA (BIHAR SHARIF)
7	OMPAL KUMAR	SCHOOL TEACHER (BPSC)	9-10	S.M.G.R.V GURUSHARANPUR (BEN)	PHYSICAL EDUCATION	JAWAHAR KANGYA +2 SCHOOL, JHINGNAGAR NALANDA (BIHAR SHARIF)

6. प्रतिनियुक्ति शिक्षक द्वारा पूर्व में दी गयी सूचना यदि गलत या भ्रामक पायी जाती है तो उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
7. प्रतिनियुक्ति शिक्षक को मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा इस आदेश निर्गमन तिथि के दो दिनों के अन्दर प्रतिनियुक्ति विद्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया जायेगा और विरमणपत्र को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
8. प्रतिनियुक्ति विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक योगदान को स्वीकृत करते हुए उसे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
9. प्रतिनियुक्ति शिक्षक का वेतनादि का भुगतान उनके मूल विद्यालय से ही होगा। इस निमित्त प्रतिनियुक्ति विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अन्य शिक्षकों के साथ समेकित रूप से सक्षम स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
10. उक्त प्रतिनियुक्ति को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

Email- deonalanda.edn@gmail

09/16/26

3

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा।

आनन्द विजय, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा



Email-deonalanda.edn@gmail.com

11. प्रतिनियुक्ति के निमित्त विभाग के स्तर से समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश/निदेश का अनुपालन प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा किया जाएगा।

ह०/-
जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

ज्ञापांक.....652 बिहारशरीफ, दिनांक...03/...06/2026

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रतिनियुक्त शिक्षक/संबंधित मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा/उप विकास आयुक्त नालंदा एवं जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित/समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।
03/6/26

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा।

आनन्द विजय, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा



Email-deonalanda.edn@gmail.com

कार्यालय आदेश

1. जिले के प्रत्येक प्रखंड के लिए चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसका संचालन मॉडल विद्यालय के रूप में किया जाना है, में निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप आवश्यक विषयवार शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के निमित्त मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय ज्ञापांक 757 दिनांक 16.04.2026 द्वारा किया जाएगा।
2. उक्त मानक संचालन प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विषयवार एवं वर्गवार शिक्षकों की आवश्यकतानुसार आकलन करके उसे अपलोड किया गया।
3. मॉडल विद्यालय में शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति हेतु यह आवश्यक किया गया है कि अभ्यर्थी संबंधित जिला में कार्यरत नियमित शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक हो। यह भी अनिवार्य किया गया कि अभ्यर्थी की विषय-मैपिंग ई-शिक्षाकोष/यू-डायस पोर्टल पर कक्षा 09 से 12 के लिए अद्यतन हो तथा उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। साथ ही उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 4 में निर्धारित पात्रता धारित करते हों।
4. पात्रता धारित शिक्षक अभ्यर्थियों से दिनांक 17.03.2026 से 10.04.2026 की अवधि में आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से आमंत्रित किए गए। प्राप्त आवेदन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच एवं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 5 अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा किया गया।
5. निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए निम्नांकित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित मॉडल विद्यालय में अगले आदेश तक की जाती है:

क्र०	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्ग कक्ष 9-10/ 11-12)	वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय का नाम (प्रखंड का नाम सहित)	विषय	मॉडल विद्यालय का नाम, जहां प्रतिनियुक्ति किया गया (प्रखंड का नाम सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	ASMITA DEVI	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	GOVERNMENT HIGH SCHOOL, AUNGARI (EKANGARSARAI)	SANSKRIT	S.S.ACADEMY, EKANGERSARAI (EKANGARSARAI)
2	ROHAN KUNAL	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	SARDAR PATEL H.S. GANGTI (BEN)	CHEMISTRY	S.S.ACADEMY, EKANGERSARAI (EKANGARSARAI)

6. प्रतिनियुक्ति शिक्षक द्वारा पूर्व में दी गयी सूचना यदि गलत या भ्रामक पायी जाती है तो उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
7. प्रतिनियुक्ति शिक्षक को मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा इस आदेश निर्गमन तिथि के दो दिनों के अन्दर प्रतिनियुक्ति विद्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया जायेगा और विरमणपत्र को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
8. प्रतिनियुक्ति विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक योगदान को स्वीकृत करते हुए उसे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
9. प्रतिनियुक्ति शिक्षक का वेतनादि का भुगतान उनके मूल विद्यालय से ही होगा। इस निमित्त प्रतिनियुक्ति विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अन्य शिक्षकों के साथ समेकित रूप से सक्षम स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
10. उक्त प्रतिनियुक्ति को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. प्रतिनियुक्ति के निमित्त विभाग के स्तर से समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश/निदेश का अनुपालन प्रतिनियुक्ति शिक्षक द्वारा किया जाएगा।

ह०/-
जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

ज्ञापांक.....653.....बिहारशरीफ, दिनांक.....03...../.....06...../2026

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रतिनियुक्ति शिक्षक/संबंधित मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा/उप विकास आयुक्त नालंदा एवं जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित/समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

Email- deonalanda.edn@gmail

5

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा।

आनन्द विजय, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा



Email-deonalanda.edn@gmail.com

कार्यालय आदेश

1. जिले के प्रत्येक प्रखंड के लिए चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसका संचालन मॉडल विद्यालय के रूप में किया जाना है, में निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप आवश्यक विषयवार शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के निमित्त मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय ज्ञापांक 757 दिनांक 16.04.2026 द्वारा किया जाएगा।

2. उक्त मानक संचालन प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विषयवार एवं वर्गवार शिक्षकों की आवश्यकतानुसार आकलन करके उसे अपलोड किया गया।

3. मॉडल विद्यालय में शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति हेतु यह आवश्यक किया गया है कि अभ्यर्थी संबंधित जिला में कार्यरत नियमित शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक हो। यह भी अनिवार्य किया गया कि अभ्यर्थी की विषय-मैपिंग ई-शिक्षाकोष/यू-डायस पोर्टल पर कक्षा 09 से 12 के लिए अद्यतन हो तथा उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। साथ ही उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 4 में निर्धारित पात्रता धारित करते हों।

4. पात्रता धारित शिक्षक अभ्यर्थियों से दिनांक 17.03.2026 से 10.04.2026 की अवधि में आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से आमंत्रित किए गए। प्राप्त आवेदन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच एवं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 5 अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा किया गया।

5. निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए निम्नांकित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित मॉडल विद्यालय में अगले आदेश तक की जाती है:

क्र०	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्ग कक्ष 9-10/ 11-12)	वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय का नाम (प्रखंड का नाम सहित)	विषय	मॉडल विद्यालय का नाम, जहां प्रतिनियुक्ति किया गया (प्रखंड का नाम सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	PRITAM KUMAR	SCHOOL TEACHER (BPS)	11-12	HIGH SECONDARY SCHOOL KAPSIYAWAN HILSA (HILSA)	MATH	RAM BABU +2 HIGH SCHOOL, HILSA (HILSA)
2	GEETANJALI SINHA	SCHOOL TEACHER (BPS)	11-12	UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA, SANDH (KARAIPURSURI)	CHEMISTRY	RAM BABU +2 HIGH SCHOOL, HILSA (HILSA)
3	OM DEV	SCHOOL TEACHER (BPS)	11-12	HIGH SECONDARY SCHOOL KAPSIYAWAN (HILSA)	SANSKRIT	RAM BABU +2 HIGH SCHOOL, HILSA (HILSA)

6. प्रतिनियुक्ति शिक्षक द्वारा पूर्व में दी गयी सूचना यदि गलत या भ्रामक पायी जाती है तो उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

7. प्रतिनियुक्ति शिक्षक को मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा इस आदेश निर्गमन तिथि के दो दिनों के अन्दर प्रतिनियुक्ति विद्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया जायेगा और विरमणपत्र को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

8. प्रतिनियुक्ति विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक योगदान को स्वीकृत करते हुए उसे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

9. प्रतिनियुक्ति शिक्षक का वेतनादि का भुगतान उनके मूल विद्यालय से ही होगा। इस निमित्त प्रतिनियुक्ति विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अन्य शिक्षकों के साथ समेकित रूप से सक्षम स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

10. उक्त प्रतिनियुक्ति को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

11. प्रतिनियुक्ति के निमित्त विभाग के स्तर से समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश/निदेश का अनुपालन प्रतिनियुक्ति शिक्षक द्वारा किया जाएगा।

ह०/-

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

ज्ञापांक.....654.....बिहारशरीफ, दिनांक...03.../.....06.../2026

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रतिनियुक्ति शिक्षक/संबंधित मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा/उप विकास आयुक्त नालंदा एवं जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित/समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

Email- deonalanda.edn@gmail

कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा।

आनन्द विजय, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा



Email-deonalanda.edn@gmail.com

कार्यालय आदेश

1. जिले के प्रत्येक प्रखंड के लिए चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसका संचालन मॉडल विद्यालय के रूप में किया जाना है, में निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप आवश्यक विषयवार शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के निमित्त मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय ज्ञापांक 757 दिनांक 16.04.2026 द्वारा किया जाएगा।
2. उक्त मानक संचालन प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विषयवार एवं वर्गवार शिक्षकों की आवश्यकतानुसार आकलन करके उसे अपलोड किया गया।
3. मॉडल विद्यालय में शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति हेतु यह आवश्यक किया गया है कि अभ्यर्थी संबंधित जिला में कार्यरत नियमित शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक हो। यह भी अनिवार्य किया गया कि अभ्यर्थी की विषय-मैपिंग ई-शिक्षाकोष/यू-डायस पोर्टल पर कक्षा 09 से 12 के लिए अद्यतन हो तथा उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। साथ ही उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 4 में निर्धारित पात्रता धारित करते हों।
4. पात्रता धारित शिक्षक अभ्यर्थियों से दिनांक 17.03.2026 से 10.04.2026 की अवधि में आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से आमंत्रित किए गए। प्राप्त आवेदन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच एवं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 5 अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा किया गया।
5. निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए निम्नांकित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित मॉडल विद्यालय में अगले आदेश तक की जाती है:

क्र०	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्ग कक्षा 9-10/ 11-12	वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय का नाम (प्रखंड का नाम सहित)	विषय	मॉडल विद्यालय का नाम, जहां प्रतिनियुक्ति किया गया (प्रखंड का नाम सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	PRABHAKAR KUMAR	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	N.S HIGH SCHOOL VISHNUPUR (ISLAMPUR)	MATH	NETAJI SRI SUBHASH-H/H +2 ISLAMPUR (ISLAMPUR)

6. प्रतिनियुक्ति शिक्षक द्वारा पूर्व में दी गयी सूचना यदि गलत या भ्रामक पायी जाती है तो उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
7. प्रतिनियुक्ति शिक्षक को मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा इस आदेश निर्गमन तिथि के दो दिनों के अन्दर प्रतिनियुक्ति विद्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया जायेगा और विरमणपत्र को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
8. प्रतिनियुक्ति विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक योगदान को स्वीकृत करते हुए उसे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
9. प्रतिनियुक्ति शिक्षक का वेतनादि का भुगतान उनके मूल विद्यालय से ही होगा। इस निमित्त प्रतिनियुक्ति विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अन्य शिक्षकों के साथ समेकित रूप से सक्षम स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
10. उक्त प्रतिनियुक्ति को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. प्रतिनियुक्ति के निमित्त विभाग के स्तर से समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश/निदेश का अनुपालन प्रतिनियुक्ति शिक्षक द्वारा किया जाएगा।

ह०/-
जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

ज्ञापांक...655...बिहारशरीफ, दिनांक...03.../...06.../2026

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रतिनियुक्ति शिक्षक/संबंधित मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा/उप विकास आयुक्त नालंदा एवं जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित/समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

3/6/26 03/6/26

कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा।

आनन्द विजय, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा



Email-deonalanda.edn@gmail.com

कार्यालय आदेश

1. जिले के प्रत्येक प्रखंड के लिए चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसका संचालन मॉडल विद्यालय के रूप में किया जाना है, में निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप आवश्यक विषयवार शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के निमित्त मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय ज्ञापांक 757 दिनांक 16.04.2026 द्वारा किया जाएगा।

2. उक्त मानक संचालन प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विषयवार एवं वर्गवार शिक्षकों की आवश्यकतानुसार आकलन करके उसे अपलोड किया गया।

3. मॉडल विद्यालय में शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति हेतु यह आवश्यक किया गया है कि अभ्यर्थी संबंधित जिला में कार्यरत नियमित शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक हो। यह भी अनिवार्य किया गया कि अभ्यर्थी की विषय-मैपिंग ई-शिक्षाकोष/यू-डायस पोर्टल पर कक्षा 09 से 12 के लिए अद्यतन हो तथा उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। साथ ही उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 4 में निर्धारित पात्रता धारित करते हों।

4. पात्रता धारित शिक्षक अभ्यर्थियों से दिनांक 17.03.2026 से 10.04.2026 की अवधि में आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से आमंत्रित किए गए। प्राप्त आवेदन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच एवं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 5 अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा किया गया।

5. निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए निम्नांकित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित मॉडल विद्यालय में अगले आदेश तक की जाती है:

क्र०	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्ग कक्षा 9-10/ 11-12)	वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय का नाम (प्रखंड का नाम सहित)	विषय	मॉडल विद्यालय का नाम, जहां प्रतिनियुक्ति किया गया (प्रखंड का नाम सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	ANSHU PRIYA KUMARI	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	S.M.G.R.V GURUSHARANPUR (BEN)	BOTANY	HIGH SCHOOL MAKRAUTA (KARAIPURSURAI)
2	MAMTA KUMARI	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	PROJECT GIRLS HIGH SCHOOL SERMERA (SARMERA)	ZOOLOGY	HIGH SCHOOL MAKRAUTA (KARAIPURSURAI)

6. प्रतिनियुक्ति शिक्षक द्वारा पूर्व में दी गयी सूचना यदि गलत या भ्रामक पायी जाती है तो उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

7. प्रतिनियुक्ति शिक्षक को मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा इस आदेश निर्गमन तिथि के दो दिनों के अन्दर प्रतिनियुक्ति विद्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया जायेगा और विरमणपत्र को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

8. प्रतिनियुक्ति विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक योगदान को स्वीकृत करते हुए उसे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

9. प्रतिनियुक्ति शिक्षक का वेतनादि का भुगतान उनके मूल विद्यालय से ही होगा। इस निमित्त प्रतिनियुक्ति विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अन्य शिक्षकों के साथ समेकित रूप से सक्षम स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

10. उक्त प्रतिनियुक्ति को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

11. प्रतिनियुक्ति के निमित्त विभाग के स्तर से समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश/निदेश का अनुपालन प्रतिनियुक्ति शिक्षक द्वारा किया जाएगा।

H0/-
जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

ज्ञापांक.....656.....बिहारशरीफ, दिनांक.....03...../.....06...../2026

प्रतिलिपि:—संबंधित प्रतिनियुक्ति शिक्षक/संबंधित मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा/उप विकास आयुक्त नालंदा एवं जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित/समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

03/06/26

Email- deonalanda.edn@gmail

8

कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा।

आनन्द विजय, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा



Email-deonalanda.edn@gmail.com

कार्यालय आदेश

1. जिले के प्रत्येक प्रखंड के लिए चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसका संचालन मॉडल विद्यालय के रूप में किया जाना है, में निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप आवश्यक विषयवार शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के निमित्त मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय ज्ञापांक 757 दिनांक 16.04.2026 द्वारा किया जाएगा।
2. उक्त मानक संचालन प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विषयवार एवं वर्गवार शिक्षकों की आवश्यकतानुसार आकलन करके उसे अपलोड किया गया।
3. मॉडल विद्यालय में शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति हेतु यह आवश्यक किया गया है कि अभ्यर्थी संबंधित जिला में कार्यरत नियमित शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक हो। यह भी अनिवार्य किया गया कि अभ्यर्थी की विषय-मैपिंग ई-शिक्षाकोष/यू-डायस पोर्टल पर कक्षा 09 से 12 के लिए अद्यतन हो तथा उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। साथ ही उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 4 में निर्धारित पात्रता धारित करते हों।
4. पात्रता धारित शिक्षक अभ्यर्थियों से दिनांक 17.03.2026 से 10.04.2026 की अवधि में आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से आमंत्रित किए गए। प्राप्त आवेदन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच एवं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 5 अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा किया गया।
5. निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए निम्नांकित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित मॉडल विद्यालय में अगले आदेश तक की जाती है:

क्र०	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्ग कक्ष 9-10/ 11-12)	वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय का नाम (प्रखंड का नाम सहित)	विषय	मॉडल विद्यालय का नाम, जहां प्रतिनियुक्ति किया गया (प्रखंड का नाम सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	SANDEEP KUMAR	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	HIGH SECONDARY SCHOOL KAJICHAK SARMERA (SARMERA)	ZOOLOGY	HIGH SECONDARY SCHOOL GOVERDHAN BIGHA MAIRA BARITH KATRISARAI, (KATRISARAI)

6. प्रतिनियुक्ति शिक्षक द्वारा पूर्व में दी गयी सूचना यदि गलत या भ्रामक पायी जाती है तो उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
7. प्रतिनियुक्ति शिक्षक को मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा इस आदेश निर्गमन तिथि के दो दिनों के अन्दर प्रतिनियुक्ति विद्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया जायेगा और विरमणपत्र को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
8. प्रतिनियुक्ति विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक योगदान को स्वीकृत करते हुए उसे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
9. प्रतिनियुक्ति शिक्षक का वेतनादि का भुगतान उनके मूल विद्यालय से ही होगा। इस निमित्त प्रतिनियुक्ति विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अन्य शिक्षकों के साथ समेकित रूप से सक्षम स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
10. उक्त प्रतिनियुक्ति को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. प्रतिनियुक्ति के निमित्त विभाग के स्तर से समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश/निदेश का अनुपालन प्रतिनियुक्ति शिक्षक द्वारा किया जाएगा।

ह०/-
जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

ज्ञापांक.....657.....बिहारशरीफ, दिनांक.....03.../...06...../2026

प्रतिलिपि:—संबंधित प्रतिनियुक्ति शिक्षक/संबंधित मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा/उप विकास आयुक्त नालंदा एवं जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित/समेपित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा।

आनन्द विजय, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा



Email-deonalanda.edn@gmail.com

कार्यालय आदेश

1. जिले के प्रत्येक प्रखंड के लिए चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसका संचालन मॉडल विद्यालय के रूप में किया जाना है, में निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप आवश्यक विषयवार शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के निमित्त मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय ज्ञापांक 757 दिनांक 16.04.2026 द्वारा किया जाएगा।
2. उक्त मानक संचालन प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विषयवार एवं वर्गवार शिक्षकों की आवश्यकतानुसार आकलन करके उसे अपलोड किया गया।
3. मॉडल विद्यालय में शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति हेतु यह आवश्यक किया गया है कि अभ्यर्थी संबंधित जिला में कार्यरत नियमित शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक हो। यह भी अनिवार्य किया गया कि अभ्यर्थी की विषय-मैपिंग ई-शिक्षाकोष/यू-डायस पोर्टल पर कक्षा 09 से 12 के लिए अद्यतन हो तथा उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। साथ ही उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 4 में निर्धारित पात्रता धारित करते हों।
4. पात्रता धारित शिक्षक अभ्यर्थियों से दिनांक 17.03.2026 से 10.04.2026 की अवधि में आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से आमंत्रित किए गए। प्राप्त आवेदन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच एवं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 5 अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा किया गया।
5. निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए निम्नांकित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित मॉडल विद्यालय में अगले आदेश तक की जाती है:

क्र 0	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्ग कक्ष 9-10/ 11-12	वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय का नाम (प्रखंड का नाम सहित)	विषय	मॉडल विद्यालय का नाम, जहां प्रतिनियुक्ति किया गया (प्रखंड का नाम सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	SUDEEP KUMAR	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	HIGH SECONDARY SCHOOL ONDA, NALANDA (ASTHAWAN)	GEOGRAPHY	VIKAS HIGH SCHOOL- BHOBHI (NAGARNAUSHA)

6. प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा पूर्व में दी गयी सूचना यदि गलत या भ्रामक पायी जाती है तो उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
7. प्रतिनियुक्त शिक्षक को मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा इस आदेश निर्गमन तिथि के दो दिनों के अन्दर प्रतिनियुक्त विद्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया जायेगा और विरमणपत्र को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
8. प्रतिनियुक्त विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक योगदान को स्वीकृत करते हुए उसे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
9. प्रतिनियुक्त शिक्षक का वेतनादि का भुगतान उनके मूल विद्यालय से ही होगा। इस निमित्त प्रतिनियुक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अन्य शिक्षकों के साथ समेकित रूप से सक्षम स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
10. उक्त प्रतिनियुक्ति को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. प्रतिनियुक्ति के निमित्त विभाग के स्तर से समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश/निदेश का अनुपालन प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा किया जाएगा।

ह०/-
जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

ज्ञापांक...658...बिहारशरीफ, दिनांक...03.../...06.../2026

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रतिनियुक्त शिक्षक/संबंधित मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा/उप विकास आयुक्त नालंदा एवं जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित/समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

3/6/26 03/6/26

कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा।

आनन्द विजय, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा



Email-deonalanda.edn@gmail.com

कार्यालय आदेश

1. जिले के प्रत्येक प्रखंड के लिए चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसका संचालन मॉडल विद्यालय के रूप में किया जाना है, में निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप आवश्यक विषयवार शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के निमित्त मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय ज्ञापांक 757 दिनांक 16.04.2026 द्वारा किया जाएगा।
2. उक्त मानक संचालन प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विषयवार एवं वर्गवार शिक्षकों की आवश्यकतानुसार आकलन करके उसे अपलोड किया गया।
3. मॉडल विद्यालय में शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति हेतु यह आवश्यक किया गया है कि अभ्यर्थी संबंधित जिला में कार्यरत नियमित शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक हो। यह भी अनिवार्य किया गया कि अभ्यर्थी की विषय-मैपिंग ई-शिक्षाकोष/यू-डायस पोर्टल पर कक्षा 09 से 12 के लिए अद्यतन हो तथा उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। साथ ही उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 4 में निर्धारित पात्रता धारित करते हों।
4. पात्रता धारित शिक्षक अभ्यर्थियों से दिनांक 17.03.2026 से 10.04.2026 की अवधि में आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से आमंत्रित किए गए। प्राप्त आवेदन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच एवं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 5 अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा किया गया।
5. निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए निम्नांकित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित मॉडल विद्यालय में अगले आदेश तक की जाती है:

क्र०	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्ग कक्ष 9-10/ 11-12)	वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय का नाम (प्रखंड का नाम सहित)	विषय	मॉडल विद्यालय का नाम, जहां प्रतिनियुक्ति किया गया (प्रखंड का नाम सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	SANTOSH KUMAR	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	HIGH SCHOOL NEPURA- BERANAUTI (BIHARSHARIF)	PHYSICS	HIGH SECONDARY SCHOOL SARDAR BIGHA NOORSARAI, NALANDA (NOORSARAI)

6. प्रतिनियुक्ति शिक्षक द्वारा पूर्व में दी गयी सूचना यदि गलत या भ्रामक पायी जाती है तो उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
7. प्रतिनियुक्ति शिक्षक को मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा इस आदेश निर्गमन तिथि के दो दिनों के अन्दर प्रतिनियुक्ति विद्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया जायेगा और विरमणपत्र को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
8. प्रतिनियुक्ति विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक योगदान को स्वीकृत करते हुए उसे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
9. प्रतिनियुक्ति शिक्षक का वेतनादि का भुगतान उनके मूल विद्यालय से ही होगा। इस निमित्त प्रतिनियुक्ति विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अन्य शिक्षकों के साथ समेकित रूप से सक्षम स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
10. उक्त प्रतिनियुक्ति को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. प्रतिनियुक्ति के निमित्त विभाग के स्तर से समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश/निदेश का अनुपालन प्रतिनियुक्ति शिक्षक द्वारा किया जाएगा।

ह०/-

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

ज्ञापांक.....659.....बिहारशरीफ, दिनांक...03.../...06.../2026

प्रतिलिपि:—संबंधित प्रतिनियुक्ति शिक्षक/संबंधित मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा/उप विकास आयुक्त नालंदा एवं जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित/समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

03/06/26 03/06/26

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा।

आनन्द विजय, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा



Email-deonalanda.edn@gmail.com

कार्यालय आदेश

1. जिले के प्रत्येक प्रखंड के लिए चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसका संचालन मॉडल विद्यालय के रूप में किया जाना है, में निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप आवश्यक विषयवार शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के निमित्त मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय ज्ञापांक 757 दिनांक 16.04.2026 द्वारा किया जाएगा।

2. उक्त मानक संचालन प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विषयवार एवं वर्गवार शिक्षकों की आवश्यकतानुसार आकलन करके उसे अपलोड किया गया।

3. मॉडल विद्यालय में शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति हेतु यह आवश्यक किया गया है कि अभ्यर्थी संबंधित जिला में कार्यरत नियमित शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक हो। यह भी अनिवार्य किया गया कि अभ्यर्थी की विषय-मैपिंग ई-शिक्षाकोष/यू-डायस पोर्टल पर कक्षा 09 से 12 के लिए अद्यतन हो तथा उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। साथ ही उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कडिका 4 में निर्धारित पात्रता धारित करते हों।

4. पात्रता धारित शिक्षक अभ्यर्थियों से दिनांक 17.03.2026 से 10.04.2026 की अवधि में आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से आमंत्रित किए गए। प्राप्त आवेदन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच एवं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कडिका 5 अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा किया गया।

5. निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए निम्नांकित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित मॉडल विद्यालय में अगले आदेश तक की जाती है:

क्र 0	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्ग कक्ष 9-10/ 11-12)	वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय का नाम (प्रखंड का नाम सहित)	विषय	मॉडल विद्यालय का नाम, जहां प्रतिनियुक्ति किया गया (प्रखंड का नाम सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	SATYANARAYAN KUMAR	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	HIGH SECONDARY SCHOOL KAPSIYAWAN HILSA (HILSA)	HINDI	SARVODAY HIGH SCHOOL PAITHANA (RAHUI)
2	AMRITA BHARTI	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	HAZI NASIRUDDIN HARIJAN H.S GIRIYAK (GIRIYAK)	MATH	SARVODAY HIGH SCHOOL PAITHANA (RAHUI)

6. प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा पूर्व में दी गयी सूचना यदि गलत या भ्रामक पायी जाती है तो उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

7. प्रतिनियुक्त शिक्षक को मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा इस आदेश निर्गमन तिथि के दो दिनों के अन्दर प्रतिनियुक्त विद्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया जायेगा और विरमणपत्र को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

8. प्रतिनियुक्त विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक योगदान को स्वीकृत करते हुए उसे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

9. प्रतिनियुक्त शिक्षक का वेतनादि का भुगतान उनके मूल विद्यालय से ही होगा। इस निमित्त प्रतिनियुक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अन्य शिक्षकों के साथ समेकित रूप से सक्षम स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

10. उक्त प्रतिनियुक्ति को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

11. प्रतिनियुक्ति के निमित्त विभाग के स्तर से समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश/निदेश का अनुपालन प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा किया जाएगा।

ह०/-
जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

ज्ञापांक 660 बिहारशरीफ, दिनांक 03/06/2026

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रतिनियुक्त शिक्षक/संबंधित मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा/उप विकास आयुक्त नालंदा एवं जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित/समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा।

आनन्द विजय, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा



Email-deonalanda.edn@gmail.com

कार्यालय आदेश

1. जिले के प्रत्येक प्रखंड के लिए चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसका संचालन मॉडल विद्यालय के रूप में किया जाना है, में निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप आवश्यक विषयवार शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के निमित्त मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय ज्ञापांक 757 दिनांक 16.04.2026 द्वारा किया जाएगा।

2. उक्त मानक संचालन प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विषयवार एवं वर्गवार शिक्षकों की आवश्यकतानुसार आकलन करके उसे अपलोड किया गया।

3. मॉडल विद्यालय में शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति हेतु यह आवश्यक किया गया है कि अभ्यर्थी संबंधित जिला में कार्यरत नियमित शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक हो। यह भी अनिवार्य किया गया कि अभ्यर्थी की विषय-मैपिंग ई-शिक्षाकोष/यू-डायस पोर्टल पर कक्षा 09 से 12 के लिए अद्यतन हो तथा उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। साथ ही उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 4 में निर्धारित पात्रता धारित करते हों।

4. पात्रता धारित शिक्षक अभ्यर्थियों से दिनांक 17.03.2026 से 10.04.2026 की अवधि में आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से आमंत्रित किए गए। प्राप्त आवेदन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच एवं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 5 अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा किया गया।

5. निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए निम्नांकित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित मॉडल विद्यालय में अगले आदेश तक की जाती है:

क्र०	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्ग कक्षा 9-10/ 11-12	वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय का नाम (प्रखंड का नाम सहित)	विषय	मॉडल विद्यालय का नाम, जहां प्रतिनियुक्त किया गया (प्रखंड का नाम सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	SHIV SHANKAR	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	S.M.G.R.V GURUSHARANPUR (BEN)	POLITICAL SCIENCE	RAS BIHARI H.S. NALANDA (SILAO)
2	SARITA KUMARI	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA, HAWANPURA (RAHUI)	HINDI	RAS BIHARI H.S. NALANDA (SILAO)

6. प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा पूर्व में दी गयी सूचना यदि गलत या भ्रामक पायी जाती है तो उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

7. प्रतिनियुक्त शिक्षक को मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा इस आदेश निर्गमन तिथि के दो दिनों के अन्दर प्रतिनियुक्त विद्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया जायेगा और विरमणपत्र को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

8. प्रतिनियुक्त विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक योगदान को स्वीकृत करते हुए उसे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

9. प्रतिनियुक्त शिक्षक का वेतनादि का भुगतान उनके मूल विद्यालय से ही होगा। इस निमित्त प्रतिनियुक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अन्य शिक्षकों के साथ समेकित रूप से सक्षम स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

10. उक्त प्रतिनियुक्ति को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

11. प्रतिनियुक्ति के निमित्त विभाग के स्तर से समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश/निदेश का अनुपालन प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा किया जाएगा।

ह०/-
जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

ज्ञापांक.....661.....बिहारशरीफ, दिनांक.....63.../.....06.../2026

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रतिनियुक्त शिक्षक/संबंधित मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा/उप विकास आयुक्त नालंदा एवं जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित/समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

Email- deonalanda.edn@gmail

13

कार्यालय—जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा।

आनन्द विजय, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा



Email-deonalanda.edn@gmail.com

कार्यालय आदेश

1. जिले के प्रत्येक प्रखंड के लिए चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसका संचालन मॉडल विद्यालय के रूप में किया जाना है, में निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप आवश्यक विषयवार शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के निमित्त मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय ज्ञापांक 757 दिनांक 16.04.2026 द्वारा किया जाएगा।
2. उक्त मानक संचालन प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विषयवार एवं वर्गवार शिक्षकों की आवश्यकतानुसार आकलन करके उसे अपलोड किया गया।
3. मॉडल विद्यालय में शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति हेतु यह आवश्यक किया गया है कि अभ्यर्थी संबंधित जिला में कार्यरत नियमित शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक हो। यह भी अनिवार्य किया गया कि अभ्यर्थी की विषय-मैपिंग ई-शिक्षाकोष/यू-डायस पोर्टल पर कक्षा 09 से 12 के लिए अद्यतन हो तथा उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। साथ ही उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 4 में निर्धारित पात्रता धारित करते हों।
4. पात्रता धारित शिक्षक अभ्यर्थियों से दिनांक 17.03.2026 से 10.04.2026 की अवधि में आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से आमंत्रित किए गए। प्राप्त आवेदन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच एवं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 5 अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा किया गया।
5. निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए निम्नांकित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित मॉडल विद्यालय में अगले आदेश तक की जाती है:

क्र०	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्ग कक्षा	वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय का नाम (प्रखंड का नाम सहित)	विषय	मॉडल विद्यालय का नाम, जहां प्रतिनियुक्त किया गया (प्रखंड का नाम सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	RUPESH KUMAR PANDEY	SCHOOL TEACHER (BPSC)	11-12	HIGH SECONDARY SCHOOL SINGHAUL SASHOUR (SARMERA)	ENGLISH	HIGH SCHOOL, ASTA (THARTHARI)

6. प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा पूर्व में दी गयी सूचना यदि गलत या भ्रामक पायी जाती है तो उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
7. प्रतिनियुक्त शिक्षक को मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा इस आदेश निर्गमन तिथि के दो दिनों के अन्दर प्रतिनियुक्त विद्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया जायेगा और विरमणपत्र को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
8. प्रतिनियुक्त विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक योगदान को स्वीकृत करते हुए उसे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
9. प्रतिनियुक्त शिक्षक का वेतनादि का भुगतान उनके मूल विद्यालय से ही होगा। इस निमित्त प्रतिनियुक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अन्य शिक्षकों के साथ समेकित रूप से सक्षम स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
10. उक्त प्रतिनियुक्ति को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. प्रतिनियुक्ति के निमित्त विभाग के स्तर से समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश/निदेश का अनुपालन प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा किया जाएगा।

ह०/—

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

ज्ञापांक 662 बिहारशरीफ, दिनांक 03 / 04 / 2026

प्रतिलिपि:—संबंधित प्रतिनियुक्त शिक्षक/संबंधित मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा/उप विकास आयुक्त नालंदा एवं जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित/समाप्त।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा।

आनन्द विजय, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा



Email-deonalanda.edn@gmail.com

कार्यालय आदेश

1. जिले के प्रत्येक प्रखंड के लिए चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसका संचालन मॉडल विद्यालय के रूप में किया जाना है, में निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप आवश्यक विषयवार शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के निमित्त मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय ज्ञापक 757 दिनांक 10.04.2026 द्वारा किया जाएगा।

2. उक्त मानक संचालन प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विषयवार एवं वर्गवार शिक्षकों की आवश्यकतानुसार आकलन करके उसे अपलोड किया गया।

3. मॉडल विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकतानुसार आकलन करके उसे अपलोड किया गया है कि अभ्यर्थी संबंधित जिला में कार्यरत नियमित शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक हो। यह भी अनिवार्य किया गया कि अभ्यर्थी की विषय-मैपिंग ई-शिक्षाकोष/यू-डायस पोर्टल पर कक्षा 09 से 12 के लिए अद्यतन हो तथा उसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। साथ ही उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 4 में निर्धारित पात्रता धारित करते हों।

4. पात्रता धारित शिक्षक अभ्यर्थियों से दिनांक 17.03.2026 से 10.04.2026 की अवधि में आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से आमंत्रित किए गए। प्राप्त आवेदन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच एवं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिका 5 अंतर्गत गठित चयन समिति द्वारा किया गया।

5. निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए निम्नांकित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उनके नाम के सामने अंकित मॉडल विद्यालय में अगले आदेश तक की जाती है:

क्र०	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्ग कक्षा 9-10	वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय का नाम (प्रखंड का नाम सहित)	विषय	मॉडल विद्यालय का नाम, जहां प्रतिनियुक्त किया गया (प्रखंड का नाम सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	JYOTI	SCHOOL TEACHER (BPSC)	9-10	HIGH SECONDARY SCHOOL ISHUA PAYREPUR, (GIRIYAK)	ENGLISH	HIGH SECONDARY SCHOOL CHORSUA GIRIYAK NALANDA (GIRIYAK)
2	NISHA	SCHOOL TEACHER (BPSC)	9-10	UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA, HUSENA (SARMERA)	SANSKRIT	HIGH SECONDARY SCHOOL CHORSUA GIRIYAK NALANDA (GIRIYAK)

6. प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा पूर्व में दी गयी सूचना यदि गलत या भ्रामक पायी जाती है तो उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

7. प्रतिनियुक्त शिक्षक को मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा इस आदेश निर्गमन तिथि के दो दिनों के अन्दर प्रतिनियुक्त विद्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया जायेगा और विरमणपत्र को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

8. प्रतिनियुक्त विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक योगदान को स्वीकृत करते हुए उसे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

9. प्रतिनियुक्त शिक्षक का वेतनादि का भुगतान उनके मूल विद्यालय से ही होगा। इस निमित्त प्रतिनियुक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अन्य शिक्षकों के साथ समेकित रूप से सक्षम स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

10. उक्त प्रतिनियुक्ति को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

11. प्रतिनियुक्ति के निमित्त विभाग के स्तर से समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश/निदेश का अनुपालन प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा किया जाएगा।

ह०/-
जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

ज्ञापक.....633.....बिहारशरीफ, दिनांक...03.../...06.../2026

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रतिनियुक्त शिक्षक/संबंधित मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा/उप विकास आयुक्त नालंदा एवं जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित/समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालंदा।

Email- deonalanda.edn@gmail

15